



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072025-264851
CG-DL-E-21072025-264851

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3239]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947

No. 3239]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

का.आ. 3312 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-121 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-309) के किमी. 24.00 से किमी. 28.00 तक रामनगर बाईपास के निर्माण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) स्तम्भ (5) स्तम्भ (6) और 7 में कमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुका और ग्रामों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट खण्ड के संबंध में संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -121(New NH-309) के किमी. 24.00 से किमी. 28.00 तक रामनगर बाईपास पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	सक्षम प्राधिकारी(भू0अ0)/अपर जिलाधिकारी, नैनीताल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH121(New	उत्तराखंड	नैनीताल	रामनगर	1 शंकरपुर भूल 2 पूछड़ी

		NH-309) के कि.मी 24 से कि.मी 28 तक				3 जोगीपुरा
						4 मंगलार
						5 भगुवाबंगर
						6 बेलगढ़
						7 कंचनपुर

[फा. सं. NH-121(309)-UR-2020-21-583]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O. 3312(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for proposed Construction of Ramnagar Bypass Km. 24.00 to Km. 28.00 of NH-121 (New NH-309) in the State of Uttarakhand.

SCHEDULE

Land acquisition of Ramnagar Bypass at Km. 24.00 to Km. 28.00 on National Highway No.-121(New NH-309) in the State of UTTARAKHAND.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	CALA / ADM, Nainital	NH121(New NH-309) KM 24 TO KM 28	UTTARAKHAND	NAINITAL	Ramnagar	1 Shankarpur Bhool 2 Puchhdi 3 Jogipura 4 Manglar 5 Bhaguwabangar 6 Belgarh 7 Kanchanpur

[F. No. NH-121(309)-UR-2020-21-583]

SHAIKH AMINKHAN, Director